

प्रकरण सं. - 93/2017

G.C.M.S. no. - 2017/00155

12/01/21

पत्रावली पर हुई (अधिवक्ता) उभय पक्ष द्वारा
(अधिवक्ता) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उभय
पक्ष के मध्य आपसी सहमति से शर्जीनामा
बेकर नम्बर का विक्रय प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में
हो जाने से प्रकरण में कार्यवाही समाप्त करने का
निवेदन किया। चूंकि उभय पक्ष के मध्य आपसी
सहमति/समझौता हो जाने से अब इस प्रकरण में
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होती है। अतः प्रकरण
में कार्यवाही नष्ट की जाती है। पत्रावली के संलग्न नम्बर
बेकर नम्बर से कम हो।



(के.के. शर्मा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़